हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

पंचम सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 39

शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019/19 माघ, 1940(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 1230 से 1234 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1235 से 1271 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्नः

अतारांकित प्रश्न संख्याः 319 से 332 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

श्री जगत सिंह नेगी, सदस्य ने प्रश्नकाल के तुरन्त बाद प्रदेश में तेज़ी से फैल रहे स्वाइन फ्लू से उत्पन्न समस्या का विषय उठाते हुए माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया।

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वतः ही सदन में स्वाइन फ्लू की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दे दिया है और सरकार इस समस्या के बारे में पूर्णतया सचेत है।

माननीय मुख्य मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्वाइन फ्लू से उत्पन्न समस्या से लड़ने के लिए सरकार की गंभीरता व इस बीमारी की रोक थाम के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा दिया।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2018-19 की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री ने** भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा निदेशालय निजी सचिव, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याःई0डी0एन0-ए-ख (1)-29/2018 दिनांक 21.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.11.2018 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(3) **श्री विपिन सिंह परमार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन अधिनियम, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 17) की धारा 12 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश में खुली सिगरेटों और बीड़ियों के विक्रय का प्रतिषेध और सिगरेटों तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के खुदरा कारबार का विनियमन नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्याः स्वास्थ्य-ए-एच(1)-1/2013-वॉल्यूम-1 दिनांक 30.08.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 22.01.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन

श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह, सदस्य, कार्य-सलाहकार समिति ने समिति का पंचम प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) सभा में उपस्थापित किया तथा इसकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार हुआ।

4. गैर-सरकारी सदस्य कार्य

सर्वप्रथम **श्री राकेश सिंघा, सदस्य** ने पिछले सत्र में प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर चर्चा कीः-

"This House may discuss to give insurance cover to the farmers of the State for crop cultivation and recommends to the Government to form a policy."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री बलबीर सिंह
2. श्री जगत सिंह नेगी
3. श्री राकेश पठानिया

01.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 02.05 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

02.10 बजे अपराह्न सदन की बैठक श्री हंस राज, माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

संकल्प पर चर्चा जारी -

4. श्री सुरेन्द्र शौरी
6. श्री बिक्रम सिंह जरयाल

माननीय कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प वापिस हुआ।

(ii) **श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा कीः-

"यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश में विकास खण्डों द्वारा निर्मित सड़कों का एक मुश्त निपटारा करने हेतु नीति बनाने पर विचार करें।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री (कर्नल) इन्द्र सिंह
2. श्री राम लाल ठाकुर
3. श्री रमेश चन्द ध्वाला

4. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
5. श्री सुरेश कुमार कश्यप
6. श्री राकेश जम्वाल
7. श्री राजेन्द्र राणा
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा
9. श्री बिक्रम सिंह जरयाल
10. श्री राकेश सिंघा

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

श्री राम लाल ठाकुर, सदस्य ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

संकल्प अस्वीकार।

(iii) **श्री लखविन्द्र सिंह राणा, सदस्य** ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-

"यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि बढ़ती बिजली की खपत को देखते हुए सौर ऊर्जा नीति पर विचार करें।"

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री किशोरी लाल
2. श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु
3. श्री हीरा लाल
4. श्री रमेश चंद ध्वाला

बैठक का निश्चित समय समाप्त होने के कारण **माननीय उपाध्यक्ष** ने संबंधित मंत्री द्वारा संकल्प पर हुई चर्चा का उत्तर अगले गैर-सरकारी सदस्य दिवस पर देने का निर्णय दिया।

04.55 बजे अपराह्न सदन की बैठक शनिवार 9 फरवरी, 2019 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।